रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 1988/आश्विन 20, 1910
No. 214] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 1988/ASVINA 20, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1988

आदेश

सं. 8/37/85 टी पी सी (पी टी).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1988 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 के (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) खंड 3 में—

(i) उपखंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा अर्थात् :—

"(5) "कपड़ा" से ऐसा कोई फैब्रिक अभिप्रेत है जो प्रधानतः या समानतः प्राकृतिक रेशम, कपास, ऊन, कृत्रिम रेशे (अविच्छिन्न) कृत्रिम रेशे (विच्छिन्न) या इन सामग्रियों में के अपशिष्टों या उनके प्रधानतः या समान मिश्रण से बना हो, किन्तु उसमें निम्नलिखित "अन्य वस्त्र उत्पाद" नहीं आते हैं, अर्थात् :—

(क) होज पाइप;

चमड़े के कपड़े, निम्न कोटि के या नकली चमड़े के कपड़े, जिनका सामान्यतया जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है और जिल्दसाजी का कपड़ा;

(ग) निर्मित कपड़े;

(घ) मखमली कपड़ा, जिसके विनिर्माण में कते धागे/फलामेंट का प्रयोग किया जाता है;

(ङ) रबड़ीकृत या संश्लिष्ट जलरोधी फैब्रिक, चाहे वह इकहरा टैक्सर किया हुआ था या दोहरा टैक्सर किया हुआ है;

(च) अनुरेखण कागज;

(छ) टाप्स;

(ज) कृत्रिम धागे";

(ii) उपखंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) "कपास का सूत" या "सूती कपड़ा" से रेशम के धागे और रेशम के कपड़े से भिन्न धागा या कपड़ा अभिप्रेत है, और जिसमें कपास भार के आधार पर समान या अत्यधिक मात्रा में है";

(iii) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा; अर्थात् :—

"(ii) "कृत्रिम रेशे" और "कृत्रिम रेशे के कपड़े" से रेशम, कपास या ऊन के धागे और कपड़े से भिन्न धागे और कपड़े अभिप्रेत हैं";

(vi) उपखंड (21) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(21) "उत्पादक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सूत या कपड़े के उत्पादन और मूल्य वृद्धि या अन्य वस्त्र उत्पादों में "प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से" लगा हुआ है और "उत्पाद" शब्द और उसके व्याकरणिक रूप भेदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा";

(v) उपखंड (22) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(22) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसके क्षेत्र में शक्तिचालित करघा या विद्यमान शक्ति चालित करघा अवस्थित है और जो इस नियम में अधिसूचित किया गया है;

(vi) उपखंड (23) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(23) "रेशमी सूत" या "रेशमी कपड़े" से ऐसा सूत या कपड़ा अभिप्रेत है, जिसमें प्राकृतिक रेशम समान है या भार या मूल्य के आधार पर अत्यधिक है यदि प्राकृतिक रेशम का भार किसी अन्य रेशे के साथ समान या अत्यधिक है";

(vii) उपखंड (24) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(24) "रिंग फ्रेम" से "कताई मशीन" अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तकुआ, घूर्णक या कोई अन्य युक्ति है, जो विद्युत द्वारा चलाई जाती है और जिसका प्रयोग सूत के उत्पादन के लिए किया जाता है"

(viii) उपखंड (28) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(28) "ऊनी सूत" या "ऊनी कपड़े" से रेशमी धागे और रेशमी कपड़े या सूती धागे या सूती कपड़े से भिन्न सूत या कपड़ा अभिप्रेत है और जिसमें ऊन भार के आधार पर अत्यधिक या समान है, और जिसके अन्तर्गत कर्षित या गारनेट किए हुए चिथड़ों से विनिर्मित सूत भी आता है"

(ix) उपखंड (29) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(29) "सूत" से इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित, ऐसा सूत अभिप्रेत है, जो मुख्यतः या समान रूप से प्राकृतिक रेशम, कपास, ऊन, कृत्रिम रेशों (अविच्छिन्न) या कृत्रिम रेशों (विच्छिन्न) या इन सामग्रियों से किसी के अपशिष्ट या उसके किसी अत्यधिक या समान मिश्रण से विनिर्मित किया जाता है";

3. उक्त आदेश के खंड 5 में, "खंड 4" शब्द और आंकड़े के पश्चात "और खंड 6" शब्द और अंक अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

4. उक्त आदेश के खण्ड 16 में, (i) "कपड़ा या सूत" शब्दों के पश्चात, जहां वे आते हैं, "या अन्य वस्त्र उत्पाद" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; (ii) मद (क) में उपखंड (1) में प्रारंभिक शब्दों के स्थान पर "खंड" शब्द "श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. उक्त आदेश के खंड 17 में, "कपड़े या सूत" शब्दों के पश्चात जहां कहीं वे आते हैं, "या अन्य वस्त्र उत्पाद" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त आदेश के खंड 18 में, "कपड़े या सूत" शब्दों के पश्चात जहां जहां वे आते हैं, "या अन्य वस्त्र उत्पाद" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त आदेश के खंड 19 में, "कपड़े या सूत" शब्दों के पश्चात जहां जहां वे आते हैं "या अन्य वस्त्र उत्पाद" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त आदेश के खंड 20 में "कपड़े या सूत" शब्दों के पश्चात, जहां जहां वे आते हैं, "या अन्य वस्त्र उत्पाद" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त आदेश के खंड 23 में "कपड़े या सूत" शब्दों के पश्चात, जहां जहां वे आते हैं, "या अन्य वस्त्र उत्पाद" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 1, खंड 1, तारीख 11 अप्रैल, 1986 के पृष्ठ 1 से 8 पर प्रकाशित किया गया था ।

आदेश

आदेश किया जाता है कि वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1988 को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश किया जाता है कि वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1988 की प्रतियां सभी वास्ता रखने वाले को संसूचित की जाएं ।

चरन दास भीमा संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 12th October, 1988

ORDER

No. 8|37|85-TPC(Pt.).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further, to amend the Textiles (Control) Order, 1986, namely :—

1. (1) This Order may be called the Textiles (Control) Amendment Order, 1988.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 3 of the Textiles (Control) Order, 1986 (hereinafter referred to as the said Order) :—

(i) for sub-clause (5), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(5) "Cloth" means any fabric made either predominantly from or equally of natural silk, cotton, wool man-made fibre (continuous), man-made fibre (discontinuous), of wastes or any of these materials or any predominant of equal combination thereof, but does not include "other textile products" namely :—

(a) hose pipe;

(b) Leather cloth, inferior or imitation leather cloth, ordinarily used in book-binding and book binding cloth;

(c) made-up clothing;

(d) plush cloth, in the manufacture of which any spun yarn|filament is used;

(e) rubberised or synthetic water-proof fabric whether single textured or double textured;

(f) tracing paper;

(g) tops;

(h) man-made fibres";

(ii) for sub-clause (7), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(7) "Cotton Yarn" or "Cotton Cloth" means or cloth other than silk yarn and silk cloth, and where cotton is equal or predominant by weight";

(iii) for sub-clause (11), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(11) "Man-made fibre yarn" and "Man-made fibre cloth" means yarn and cloth other than silk, cotton or wollen yarn and cloth";

(iv) for sub-clause (21), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(21) "Producer" means a person engaged in the production of and value-addition to yarn or cloth or other textile products "directly or indirectly" and the expression "produce" and its grammatical variations shall be construed accordingly";

(v) for sub-clause (22) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(22) "registration authority" means the officers of the State Government or a Union Territory Administration under whose territory the powerloom or existing powerloom is located and who is notified as such";

(vi) for sub-clause (23), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(23) "Silk Yarn" or "Silk Cloth" means yarn or cloth where natural silk is equal or predominant by weight or value if the weight of natural silk is equal or predominant alongwith any other fibre";

(vii) for sub-clause (24), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(24) "Ring Frame" means "Spinning machine" and includes spindles, rotors, or any other device worked by power and used for production of yarn";

(vii) for sub-clause (28), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(28) "Woollen Yarn" or "Woollen Cloth" means yarn or cloth other than silk yarn and silk cloth or cotton yarn and cotton cloth, and where wool is predominant or equal by weight, and includes yarn manufactured out of pulled or agrnettel rags";

(ix) for sub-clause (29), the following sub-clause shall be substituted, namely.—

"(29) "Yarn" with its grammatical variations, means manufactured predominantly from or equally of natural silk cotton, wool, man-made fibre (continuous), man-made fibre (discontinuous), or waste of any of these materials, or any predominant or equal combination thereof";

3. In clause 5 of the said Order, after the words and figure 'under clause 4", the words and figure "and clause 6" shall be inserted.

4. In clause 16 of the said Order, (i) after the words "cloth or yarn" wherever they occur, the words "or other textile products" shall be inserted; (ii) in sub-clause (1) in item (a), for the opening words "the clauses" the words "the classes" shall be substituted.

5. In clause 17 of the said Order, after the words "cloth or yarn" wherever they occur, the words "or other textile products" shall be inserted.

6. In clause 18 of the said Order after the words "cloth or yarn" wherever they occur, the words "or other textile products" shall be inserted.

7. In clause 19 of the said Order after the words "cloth or yarn" wherever they occur, the words "or other textile products" shall be inserted.

8. In clause 20 of the said Order, after the words "cloth or yarn" wherever they occur, the words "or other textile products" shall be inserted.

9. In clause 23 of the said Order, after the words "cloth or yarn" wherever they occur, the words "or other textile products" shall be inserted.

Note :—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part I—Section 1 at pages 9-13 dated the 11th April, 1986.

ORDER

Ordered that the Textiles (Conrol) Amnendment Order, 1988, may be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that the copies of the Textiles (Control) Amendment Order, 1988, may be communicated to all concerned.

C. D. CHEEMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988